न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–129/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00228)

1. घीसी देवी धर्मपत्नी श्री हीरालाल, पुत्री स्व. श्री भँवरलाल, उम्र 64 वर्ष, जाति माली, निवासी ढाणी कारीगरान, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. मंगली देवी धर्मपत्नी श्री प्रेमचन्द पुत्री स्व. श्री भँवरलाल उम्र 62 वर्ष, जाति माली निवासी अनु विहार कॉलानी जोबनेर रोड़, जयपुर, राजस्थान

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमला देवी धर्मपत्नी स्व. श्री सुवालाल उम्र 73 वर्ष, जाति माली ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. मदनलाल पुत्र स्व. श्री सुवालाल, उम्र 48 वर्ष, जाति माली ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. पन्नालाल पुत्र स्व. श्री सुवालाल उम्र 44 वर्ष, जाति माली ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. रामकिशोर पुत्र स्व. श्री सुवालाल उम्र 43 वर्ष, जाति माली ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
5. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री सुवालाल उम्र 42 वर्ष, जाति माली ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
6. हिम्मत पुत्र स्व. श्री सुवालाल उम्र 37 वर्ष, जाति माली ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
7. शान्ति देवी पुत्री स्व. श्री सुवालाल, उम्र 49 वर्ष, जाति माली ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
8. सोहनी देवी पुत्री स्व. श्री सुवालाल उम्र 46 वर्ष, जाति माली ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 02.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ जयपुर के आदेश दिनांक 22.03.2018 (प्रकरण संख्या 44/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण स्व. श्री भँवरलाल पुत्र मांगू की पुत्रीया होकर विधिक उत्तराधिकारी है तथा अपीलार्थीगण के पिता श्री भँवरलाल का स्वर्गवास दिनांक 22.02.2008 को अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन 2005 के पश्चात् हुआ तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् भँवरलाल पुत्र मांगू की

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1364 लगायत 1366, 1368 लगायत 1372, 1490 लगायत 1498, 1399/2, 1400/1 कुल किता 19 कुल रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में हिस्सा 1/3 तथा खसरा नम्बर 1333 कुल किता 1 कुल रकबा 7 बीघा में हिस्सा 2/9 अपीलार्थीगण के पिता भॅवरलाल पुत्र मांगू जाति माली निवासी नरायना की खातेदारी में दर्ज है जो कि उक्त भूमि भॅवरलाल को उसके पिता मांगीलाल उर्फ मांगू से विरासत मे प्राप्त हुई थी उक्त पुश्तैनी आराजीयात में भंवरलाल पुत्र मांगू सहखातेदार था जो कि खातेदारों के मध्य अपीलान्ट के पिता भंवरलाल पुत्र मांगू का दिनांक 22.02.2008 को स्वर्गवास होने तक न्यायिक बंटवारा नही हुआ था वरन आराजी आज भी संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, ऐसी स्थिति में दिनांक 09.09.2005 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन होने के पश्चात् अपीलान्ट का जन्म से पिता की पुश्तैनी सम्पत्ति में हिस्सा निहित हो चुका था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता भंवरलाल के चाचा भोलू के पुत्र सुवा ने दिनांक 12.02.1999 को एक वसीयत अपने पक्ष मे निष्पादित करवा ली जो कि वसीयत सम्पूर्ण सुवालाल ने ही टाईप करवाकर बिना अपीलान्ट के पिता भंवरलाल को बताये उन्हे धोखे में रखकर उप पंजीयक के समक्ष वसीयत अपने पक्ष में कटपूर्वक से तस्दीक करवाली तथा उक्त वसीयत में अपनी फोटो चस्पा की तथा सम्पूर्ण वसीयत में वसीयत की गई सम्पत्ति को स्व–अर्जित सम्पत्ति घोषित किया गया है जबकि उक्त सम्पत्ति श्री भंवरलाल को उनके पिता श्री मांगू से विरासत में प्राप्त हुई थी तथा श्री मांगू को उनके पिता श्री बख्ता से विरासत मे प्राप्त हुई थी। उन्होने कथन किया है कि भंवरलाल का देहावसान लगभग 88 वर्ष की उम्र में हुआ तथा जिस दिन श्री सुवालाल द्वारा अपने ताऊ श्री भंवरलाल से धोखे एवं छल से वसीयत निष्पादित करवायी गयी उस समय श्री भॅवरलाल 79 वर्ष के थे तथा उन्हे ऑखों से कम दिखाई देता था तथा वह शरीरिक रूप से शिथिल हो चुके थे उनकी याददाश्त काफी क्षीण हो चुकी थी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को उनके पिता से जबरन दोखे एवं छल से वसीयत निष्पादित करवाने का पता अपने पिता के देहावसान के लगभग पॉच माह बाद जब अपीलार्थीगण अपने पिता की सम्पत्ति को संभालने तथा खेतों की बाजोत करने गई तो सुवालाल द्वारा वसीयत के बारे में बताने तथा पिता की सम्पत्ति को भूल जाने की धमकी देने से चला तथा अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के यहॉ स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जिसका दावा क्रमांक 186/08 है जिसमें कि अप्रार्थीगण को अस्थायी आदेश से पाबन्द फरमाया गया, उक्त वाद पत्र दिनांक 28.06.2017 को अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज हो गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण अपने विधिक अधिकार

न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक जयपुर में दिनांक 31.03.2014 को पेश किया जिसका दावा क्रमांक 15/2014 है तथा उक्त दावा में भी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया गया, उक्त वाद पत्र भी अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में दिनांक 05.08.2017 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण अपने विधिक अधिकार सुरक्षित रखती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार फुलेरा के द्वारा अपीलार्थीगण के हक में उनके विरासत से प्राप्त सम्पत्ति का नामान्तरकरण खोले जाने के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुऐ दिनांक 06.07.2017 को अपीलार्थीगण के हक में नामान्तरकरण संख्या 4773 खोला गया तथा रिकार्ड में अपीलार्थीगण का नाम चस्पा किया गया जब उक्त नामान्तरकरण के बारे में रेस्पोडेन्ट को पता चला तो उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एवं तथ्यात्मक व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इन तथ्यों पर भी विचार नही किया गया कि वर्तमान में मौके पर भूमि पर कौन व्यक्ति काबिज है एवं उक्त भूमि पर काश्त किसके द्वारा की जा रही है, अपीलार्थीगण के पिता के द्वारा अपने जीवन काल में उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग किया गया तथा उन्होने अपने जीवनकाल में ही अपीलार्थीगण अर्थात अपनी पुत्रीयों को उक्त सम्पूर्ण भूमि संभला दी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में कोई जानकारी ना कर तथा तथ्यों व परिस्थितियों से विपरित जाकर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में केवल रेस्पोडेन्ट के गैर अविधिक हितो को दृष्टिगत करते हुए पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय वास्तविक निर्णय की परिभाषा में नही आता है, अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू विधि के सुस्थापित नियमों व सिद्धान्तों की गलत व्याख्या करते हुऐ निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतया अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के ग्राम नरायना के नामान्तरकरण संख्या 4773 दिनांक 06.07.2017 के बाबत आदेश दिनांक 22.03.2018 को निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 4773 को पुनः अपीलार्थीगण के पक्ष मे बहाल करते हुऐ अपीलार्थीगण का नाम जमाबन्दी एवं रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार

नें उक्त आराजीयात एवं ग्राम नारायना में स्थित मकान एवं चल अचल सम्पत्ति की वसीयत रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. सुवालाल पुत्र भोलू, जाति माली के हक में दिनांक 12.02.1999 को की गई उक्त वसीयत का पंजीयन उप पंजीयक सांभरलेक के द्वारा दिनांक 12.02.1999 को पृष्ठ संख्या 3, जिल्द संख्या 12, में पृष्ठ संख्या 35 क्रम संख्या 6 पर पंजीबद्ध किया गया, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 6 पृष्ठ संख्या 96–98 पर चस्पा किया गया। उन्होने कथन किया है कि भंवरलाल पुत्र मांगू जाति माली की उपरोक्त वर्णित आराजीयात एवं सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति पर अपीलार्थीगण के पिता स्व. सुवालाल पुत्र भोलू अपने जीवनपर्यान्त काबिज होकर काश्त करते रहे उनके जीवनकाल में एवं स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पोडेन्ट निरन्तर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते आ रही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के पिता के हक में की गई वसीयत की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारम्भ से ही रही है उनका वसीयत में वर्णित आराजीयात पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा, अपीलान्ट तथा उनकी स्व. माता भंवरीदेवी की नियत में खोट आने से रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. सुवालाल के हक में अपीलान्ट के पिता भंवरलाल द्वारा की गई वसीयत को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक जिला जयपुर के समक्ष उनवानी भंवरीदेवी बनाम सुवालाल निरस्त कराने का मियाद बाहर पेश किया गया उक्त वाद दिनांक 05.08.2017 को खारिज हो गया इसके अलावा अपीलान्ट व उनकी स्व. माता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष विवादग्रस्त भूमि के बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया जो दिनांक 28.06.2017 को अबेट हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया है कि अपीलान्ट सिविल न्यायला के समक्ष विचाराधीन वाद में वादग्रस्त भूमि बाबत मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रभावी रहते हुऐ तहसीलदार फुलेरा से मिलीभगत करते हुए वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 4773 दिनांक 06.07.2017 बाला–बाला एकतरफा में स्वीकृत करवा लिया जिससे पीड़ित होकर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिस पर अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुऐ ही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया है कि प्रश्नाधीन नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट की अदम मौजूद में सबूत एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में पारित किया गया है जिसकी रेस्पोडेन्ट को पूर्व में जानकारी नही थी, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयत निरस्तीकरण का वाद दिनांक 05.08.2017 को खारिज होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 अपने अधिवक्ता से मिलने पर अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को वादग्रस्त भूमि

में वसीयत के आधार पर तहसीलदार फुलेरा के समक्ष जाकर नामान्तरकरण खुलवाने बाबत सलाह दी तब दिनांक 28.08.2017 हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में स्वीकृत होने के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को बताया उस समय रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण की नकल दिये जाने बाबत हल्का पटवारी को कहा तब हल्का पटवारी ने यह कहते हुए नामान्तरकरण की नकल देने से इंकार किया कि उक्त नामान्तरकरण का अमल जमाबन्दी में नही हुआ है इसलिये आपको नकल नही दी जावेगी, दिनांक 05–06.सितम्बर को आकर नामान्तरकरण की नकल ले जाने हेतु कहा, उक्त सूचना पर दिनांक 06.09.2017 को प्रश्नाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हुई जिसको पढने से विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकृत होने की जानकारी हुई, नामान्तरकरण संख्या 4773 दिनांक 06.07.2017 की जानकारी दिनांक 06.09.2017 को होने पर जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा मियाद से माफी दिये जाने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 का प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रेस्पोडेन्ट की अपील को अन्दर मियाद माना जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी या विधिक गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। यदपि अपीलान्ट के पिता द्वारा की गई वसीयत के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विनिश्चय करने का अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है इसलिये उक्त वसीयत बाबत यदि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार के उज्रात है तो इसके लिये उन्हे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये तथा पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलान्ट्स वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार मांगू पुत्र बख्तावर की पौत्री एवं भंवरलाल पुत्र मांगू की पुत्रीयॉ है एवं पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी मांगू पुत्र बख्तावर के नाम दर्ज रिकार्ड थी, तत्पश्चात् वादग्रस्त आराजी के खातेदार मांगू पुत्र बख्तावर की मृत्यु होने पर उक्त अराजीयात विरासतन अपीलान्ट के पिता भंवरलाल पुत्र मांगू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त आराजीयात अपीलान्ट के पिता भंवरलाल की स्व–अर्जित नही थी जिसमें मांगू के समस्त वारिसान का जन्म से ही बराबर का हक व अधिकार निहित था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पिता भंवरलाल को अपने पिता से विरासत में मिली समस्त आराजीयात की वसीयत के अधिकार ही नही थे किन्तु उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2018 पारित किया गया है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2018 को निरस्त किया जाता है। चूँकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धी में एक रजिस्टर्ड वसीयत रेस्पोडेन्ट के पूर्वज के नाम की हुई है तथा वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार होने से पूर्व रेस्पोडेन्ट को भी सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 4773 दिनांक 06.07.2017 को भी निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के स्व–अर्जित या पुश्तैनी होने के तथ्यों की विस्तृत जॉच की जाकर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर